रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 1994/वैशाख 15, 1916
No. 192] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 1994/VAISAKHA 15, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1994

सं. 21/94—सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 434(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) धारा 146 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क पदत्त अधिकारी अनुज्ञान विनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (तीसरा संशोधन) विनियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त विनियम के विनियम 12 में, उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपविनियम रखे जायेंगे, अर्थात :—

"(1) विनियम 10 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी किन्तु वह उप-विनियम (2) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर नवीकृत की जा सकेगी।

(2) सीमा शुल्क कलैक्टर, उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर, यथास्थिति, विनियम 10 के अधीन दी गई मूल अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ऐसी अनुज्ञप्ति के अंतिम नवीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारानी का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में संतोषप्रद पाया जाता है :—

(क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निकासी किए गए सुपोरा की मात्रा या मूल्य उन सन्नियमों के अनुरूप है, जो कलैक्टर द्वारा विहित किए जाएं।

(ख) माल की निकासी में या शुल्क के संदाय में किसी भी कारण से, जो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से हुआ माना जा सकता है, विलम्ब से दृष्टान्तों का, और अवचार की शिकायतों का, जिसके अंतर्गत विनियम 14 में विनिर्दिष्ट किन्हीं बाध्यताओं का अनुपालन है, न होना।"

[फा.सं. 502/18/93–सीमाशुल्क–6]
टी.आर. कपूर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्या 85/सी.शु./84 दिनांक 19-4-84 के अधीन प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए :

(1) अधिसूचना सं. 240/84–सी.शु. दिनांक 17-9-84

(2) अधिसूचना सं. 74/91–सी.शु. दिनांक 15-9-91

(3) अधिसूचना सं. 35/92–सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 30-2-92

(4) अधिसूचना सं. 5/54 सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 28-1-94

(5) अधिसूचना सं. 12/94 सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 24-3-94

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 1994

No. 21/94-CUSTOMS (NT)

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Customs House Agents Licensing Regulations, 1984 (hereinafter referred to as the said regulations), namely :—

1. (1) These regulations may be called the Customs House Agents Licensing (third Amendment) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 12 of the said regulations, sub-regulations (1) and (2) shall, respectively, be substituted by the following sub-regulations, namely :—

"(1) A licence granted under regulation 10 shall be valid for a period of five years, but may be renewed from time to time in accordance with procedure provided in sub-regulation (2).

(2) The Collector of Customs, may, on application made by the licensee, before the expiry of the validity of the licence under sub-regulation (1), renew the licence for a period of five years from the date of expiration of the original licence granted under regulation 10 or of the last renewal of such licence, as the case may be, if the performance of the licensee is found to be satisfactory with reference, inter alia, to the following :—

(a) quantity or value of cargo cleared by such licensee conforming to norms as may be prescribed by the Collector;

(b) absence of instances of delay either in the clearance of goods or in the payment of duty for any reason attributable to such licensee

and any complaints of misconduct including non-compliance of any of the obligations specified in regulation 14."

[F. No. 502|18|93-CUS-VI]

T. R. KAPUR, Under Secy.

Note :—The Principal regulations were published in the Gazette of India vide notification No. 85-Customs|84 dated 19-4-1984 and were subsequently amended vide —

1. Notification No. 240|84-CUSTOMS dated 17-9-1984.
2. Notification No. 74|91-CUSTOMS dated 15-9-1991.
3. Notification No. 35|92-CUSTOMS (NT) dated 30-4-1992.
4. Notification No. 5|94-CUSTOMS (NT) dated 28-1-1994.
5. Notification No. 12|94-CUSTOMS(NT) dated 24-3-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 1994/वैशाख 16, 1916
No. 193] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 1994/VAISAKHA 16, 1916

खाद्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 1994

सा. का. नि. 435(अ):—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983[1] का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 7 के उप नियम (1) में, "नियम 16, नियम 17 और नियम 18" शब्दों

और अंकों के स्थान पर "नियम, 16, नियम 17, नियम 18 और नियम 18क" रखे जाएंगे ।

3. (1) उक्त नियम के नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम, अध्याय संख्यांक और उसके शीर्षक सहित अंतःस्थापित किया जाएगा :

"अध्याय 7 क

चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य व्ययों को पूरा किया जाना

18क. केन्द्रीय सरकार, समिति से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रीय स्तर पर, चीनी उद्योग के विकास से संबद्ध प्रशिक्षण, विस्तार और अनुसंधान कार्यक्रम के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके अनुरक्षण के लिए व्ययों को पूरा कर सकेगी और रकम के संदाय को प्राधिकृत कर सकेगी ।"

[फा सं. 1-21/93-डी. एम. डी. एफ.]

एस. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

†पाद टिप्पण:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, सं. सा. का. नि. 752(अ), तारीख 27 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :

(1) सा. का. नि. 817(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1984

(2) सा. का. नि. 838(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1985

(3) सा. का. नि. 551(अ), तारीख 6 मई, 1988

(4) सा. का. नि. 235(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1991; और

(5) सा. का. नि. 441(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1992

## MINISTRY OF FOOD

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 1994

G.S.R. 435(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983* namely :—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, (hereinafter referred to as said rules), in sub-rule (1) of rule 7, for the words and figures "rules 16, 17 and 18" the words and figures "rules 16, 17, 18 and 18A" shall be substituted.

3. (1) After rule 18 of the said rules, the following rule along with chapter number and its heading shall be inserted :—

"Chapter VII A

Defrayment of other expenses for development of sugar industry.

18A. The Central Government may, after consultation with the Committee, defray expenses and authorise payment of amounts for establishment and maintenance of Institutions at the national level for training, extension and research programmes connected with the development of Sugar Industry".

[File No. 1-21|93-SDF]

S. K. TRIPATHI, Jt. Secy.

*Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 752(E), dated the 27th September, 1983 and subsequently amended vide No.

(1) GSR 817(E), dated the 20th December, 1984;

(2) GSR 838(E), dated the 11th November, 1985;

(3) GSR 551(E), dated the 6th May, 1988;

(4) GSR 235(E), dated the 24th April, 1991; and

(5) GSR 441(E), dated the 28th April, 1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994